उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति–2022 (ड्राफ्ट)

उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

1. प्रस्तावना 3
2. नीति का संदर्भ 4
3. नीति का विज़न एवं कार्यान्वयन 7
3.1 विज़न 7
3.2 मिशन 7
3.3 विजन प्राप्त करने हेतु रणनीतियाँ 8
4. उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की सुलभता 9
4.3 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन 11
4.4 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि की व्यवस्था 12
4.5 त्वरित (फास्ट–ट्रैक) भूमि आवंटन 13
4.6 निवेश क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर्स एवं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु एक्सप्रेसवेज़ एवं डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का लाभ प्राप्त करना 14
4.7 सड़क कनेक्टिविटी 15
4.8 रेलमार्ग कनेक्टिविटी 15
4.9 वायुमार्ग कनेक्टिविटी 15
4.10 जलमार्ग 16
4.11 डिजिटल कनेक्टिविटी 16
4.12 विद्युत आपूर्ति 16
4.13 जलापूर्ति एवं जल–निकासी 17
5. लॉजिस्टिक्स दक्षता सुनिश्चित करना 17
6. वित्तीय संसाधनों की सुलभता 18
7. कुशल कार्यबल – जनसांखिकीय लाभांश का लाभ प्राप्त करना 18
8. क्षेत्र–विशिष्ट दृष्टिकोण–भविष्य के विकास हेतु लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सकारात्मक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना . 20
8.1 फोकस क्षेत्र 20
8.2 नवोदय एवं संभाव्य क्षेत्र (Sunrise & potential sectors) 21
8.3 सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर (Champion sectors in Service Industry) 21
9. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश–वैश्विक मूल्य श्रंखला से एकीकरण 22
9.1 आयात प्रतिस्थापन 22
9.2 निर्यात प्रोत्साहन 23
9.3 अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रोत्साहन 23
9.4 गुणवत्ता एवं डिजाइन को प्रोत्साहन 24
9.5 एमएसएमई, ओडीओपी एवं स्थानीय उद्योगों की सहायता 24
10. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस–अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन 25
10.1 नियामक अनुपालन भार को कम करना (Minimizing Regulatory Compliance Burden) 25

10.2 प्रक्रियाओं का सरलीकरण 25
10.3 समयबद्ध स्वीकृतियां 26
10.4 सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स 26
10.5 औद्योगिक सुरक्षा 27
10.6 अन्य प्रवर्तक 27
11. 'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग – निवेश प्रोत्साहन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षण 28
12. वित्तीय प्रोत्साहन–लाभ 29
12.1 पात्रता एवं परिभाषाएं 29
12.2 स्टाम्प शुल्क में छूट 33
12.3 निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी 33
12.4 केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहन 36
12.5 अनुसंधान एव विकास परियोजनाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु प्रोत्साहन 37
12.6 उत्कृष्टता केंद्रों हेतु वित्तीय अनुदान 38
12.7 अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रोत्साहन लाभ 38
13. रोजगार के अवसरों का सृजन 38
14. संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करना 39
15. सर्क्युलर अर्थव्यवस्था (Circular economy) एवं पर्यावरण संरक्षण 39
16. नीति का कार्यान्वयन 41

1. प्रस्तावना

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत् का योगदान देता है तथा सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सात नगर हैं तथा सात अन्य नगरों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या है।

1.2 जहां भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, वहीं उत्तर प्रदेश द्वारा अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को **1 ट्रिलियन डॉलर** तक बढ़ाकर इस अभियान में योगदान करने की योजना बनाई है।

1.3 तेजी से बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ उत्तर प्रदेश में एक स्थिर एवं संतुलित नीति, सुदृढ़, विधिक एवं नियामक ढांचे तथा एक उद्योगपरक पारिस्थितिकी तंत्र (industry-friendly ecosystem) का विकास करना अनिवार्य है।

1.4 यह नीति इस विजन को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति एक नए दृष्टिकोण की आभास दिलाती है, जिसके अंतर्गत सरकार तथा व्यवसाय राज्य के समस्त नागरिकों के लिए एक सुदृढ़, संतुलित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

1.5 मूल रूप से यह नीति राज्य के विश्वास का प्रतीक है, जो निजी क्षेत्र के निवेश को सक्षम बनाता है तथा यथावश्यकता निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करता है।

1.6 इस विश्वास में निहित है कि एक सफल अर्थव्यवस्था को श्रमिकों के कौशल, अवस्थापना सुविधाओं की गुणवत्ता तथा एक निष्पक्ष, सुरक्षित एवं आशा के अनुरूप कारोबारी माहौल की दृढ़ आधारशिला पर निर्मित किया जाना चाहिए।

1.7 यह नीति सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य सामंजस्य एवं सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करती है।

1.8 नीति में यह भी सम्मिलित है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करना सरकार का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु एक उत्तरदायी एवं सतत् विकास सुनिश्चित करना, जो समाज के वंचित जनमानस तक पहुंचे तथा प्रदेश के हर एक क्षेत्र का विकास हो।

1.9 नीति यह निर्धारित करती है कि सरकार, प्रदेश की विशिष्टताओं में किस प्रकार वृद्धि करेगी तथा प्रदेश को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाते हुए भविष्य में उनका विस्तार करेगी।

1.10 यह नीति प्रदेश में नवीन एवं उन्नत औद्योगिक परिदृश्य के सृजन हेतु औद्योगिक विकास एवं समस्त सेक्टरों सहित वैल्यू चेन एवं सप्लाई चेन के विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा एक सुदृढ़ सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रदेश को वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

1.11 यह नीति समस्त निवेशोन्मुख नीतियों को समेकित करते हुए **आगामी पांच वर्षों** के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत् निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश संबंधी निर्णय विश्वास के साथ किए जा सकते हैं।

2. नीति का संदर्भ

2.1 उत्तर प्रदेश ने स्वयं को न केवल बड़े निवेशकों, अपितु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच भी देश में निवेश करने हेतु अग्रणी स्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। आगामी वर्षों में, प्रदेश स्वयं को अधिक सुदृढ़ एवं वाह्योन्मुख बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

2.2 गत् मुख्य औद्योगिक नीति – औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत् कार्यान्वयन के प्रमुख अनुभव एवं उपलब्धियां इस नवीन नीति हेतु एक आधार प्रदान करते हैं।

2.3 पूर्व नीति की क्रियान्वयन अवधि में प्राप्त उपलब्धियां एवं प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं–

2.4 विगत् पांच वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना एवं कनेक्टिविटी नेटवर्क का त्वरित विकास किया है। देश में सबसे घने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क होने के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश ने वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेसवेज़–कुल 13 एक्सप्रेसवेज़ के साथ स्वयं को <u>**'एक्सप्रेसवे राज्य'**</u> के रूप में स्थापित किया है, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे (1225 किलोमीटर) पूर्ण हो चुके हैं जबकि 7 अन्य विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

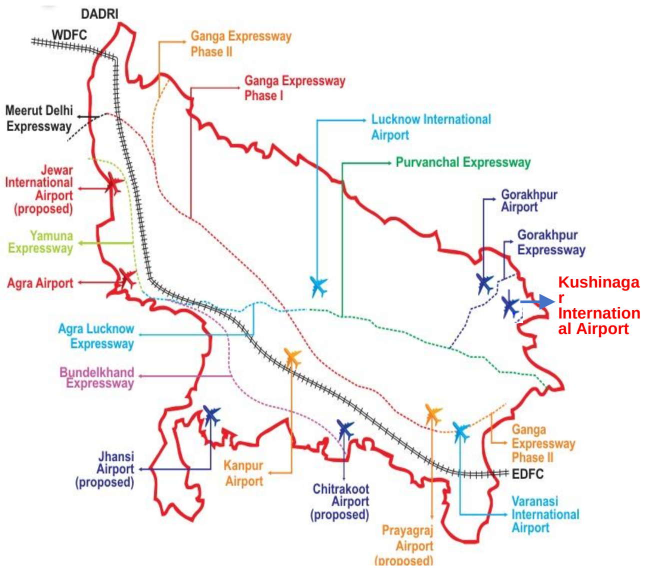

2.5 उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी. से अधिक) होने के अतिरिक्त ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (<u>**ईडीएफसी**</u>) एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (<u>**डब्ल्यूडीएफसी**</u>) का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में है।

2.6 डब्ल्यूडीएफसी मुंबई (पश्चिमी भारत) में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरगाह से जोड़ता है तथा प्रदेश से हो कर जाने वाले ईडीएफसी के 57 प्रतिशत् भाग के माध्यम से कोलकाता (पूर्वी भारत) में हल्दिया बंदरगाह को जोड़ता है, राज्य सरकार ने इन दोनों फ्रेट कोरिडोर्स का लाभ उठाने हेतु एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। राज्य सरकार के कुशल शासन तंत्र एवं भारत सरकार के प्रभावी सहयोग से इन कोरिडेर्स से जुड़ी विभिन्न प्रारंभिक (अर्ली बर्ड) परियोजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन हुआ है।

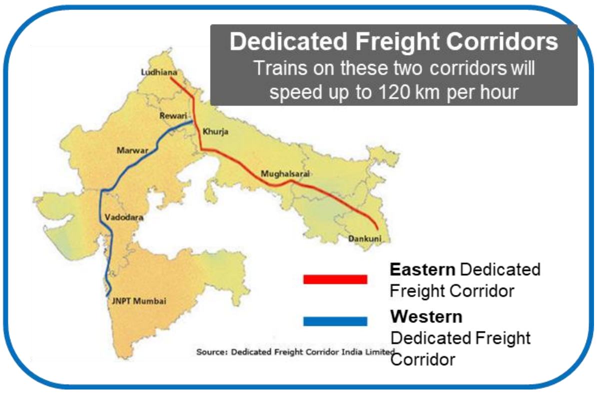

2.7 दादरी (राज्य के गौतम बौद्ध नगर जनपद में स्थित) में ईडीएफसी एवं डब्ल्यूडीएफसी के जंक्शन होने के कारण राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक अद्वितीय लाभ प्राप्त है। इस क्षेत्र में एक <u>**मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स हब**</u> तथा <u>**मल्टी–मोडल ट्रांसपोर्ट हब**</u> भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को और गति मिलेगी।

2.8 प्रयागराज को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाले देश के **<u>पहले अंतर्देशीय जलमार्ग</u>** का लगभग 1,100 किमी पूर्व से ही संचालित है। वाराणसी में एक मल्टी–मोडल टर्मिनल तथा राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के साथ गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) एवं प्रयागराज टर्मिनल में विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं। साथ ही, भारत का प्रथम् **<u>'फ्रेट विलेज'</u>** वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव अंतर्गामी तथा वाह्यगामी कार्गो के लिए ट्रांस–शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा।

National Waterways No. 1
NW-1 originates from Uttar Pradesh

2.9 लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त अब जेवर एवं अयोध्या में नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा, जहां **<u>05 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे</u>** होंगे। घरेलू कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के अंतर्गत् 07 हवाई अड्डों का शुभारंभ हो गया है तथा 08 अन्य हवाई अड्डे पाइपलाइन में हैं।

2.10 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की सुलभता (LEADS) की रैंकिंग में 'शीर्ष सुधारक' के रूप में वर्गीकृत, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 में देश में 6वां रैंक प्राप्त करके वर्ष 2019 से 7 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार किया है।

2.11 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत् उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय मास्टर प्लान विकसित करने में एक अग्रणी राज्य है, जिसका उद्देश्य इष्टतम लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं की योजना से 'संपूर्ण सरकार' को आच्छादित करना है।

2.12 ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। राज्य सरकार ने 25 से अधिक विभागों में रिकॉर्ड 500 सुधारों को लागू किया है, यथा– श्रम विनियमन, निरीक्षण नियम, भूमि आवंटन, संपत्ति पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति, करों का भुगतान आदि। रेग्यूलेटरी कंप्लायंस बर्डन (RCB) के अंतर्गत अनुपालनों को कम करने के कार्यक्रम के अधीन राज्य में 3,500 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है एवं 900 अधिनियमों/नियमों/ विनियमों/आदेशों को समाप्त किया गया है तथा 569 अनुपालनों का decriminalisation किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश को भारत सरकार द्वारा राज्यों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2020 की रैंकिंग में 'अचीवर स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.13 देश में अग्रणी सिंगल विण्डो पोर्टलों में से एक – **<u>निवेश मित्र</u>** के माध्यम से सरकार बिना किसी मानव हस्तक्षेप के 29 विभागों की 353 सेवाएं उद्योगों एवं नागरिकों को सफलतापूर्वक प्रदान करने में सक्षम है। पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से भी एकीकृत किया जा चुका है।

2.14 नीतिगत् सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 से आच्छादित 20 से अधिक क्षेत्र–विशिष्ट नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। ये नीतियां राज्य में नीति–आधारित शासन व प्रोत्साहन तंत्र को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सक्षम रही हैं।

2.15 राज्य सरकार ने क्षेत्र–विशिष्ट उद्योगों के लिए क्षेत्र निर्धारित करते हुए संपूर्ण राज्य में उद्योगों के लिए **लैंड बैंक** के सृजन हेतु भी कदम उठाए हैं। इसमें आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट में 5,000 हेक्टेयर भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर; आगरा (1060 एकड़) एवं प्रयागराज (1139 एकड़) में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर; गौतमबुद्ध नगर में 350 एकड़ से अधिक में मेडिकल डिवाइस पार्क; ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप (आईआईटी जीएनएल); यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में टॉय पार्क (52 एकड़), अपैरल पार्क (118 एकड़), हस्तशिल्प पार्क (40 एकड़), लॉजिस्टिक्स हब (टप्पल–बाजना); फिल्म सिटी; मेगा लेदर पार्क उन्नाव – 42 एकड़ भूमि में फैला देश का पहला लेदर पार्क; बरेली में मेगा फूड पार्क (246 एकड़); वाराणसी में एग्रो पार्क (259 एकड़); ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव (1149 एकड़); लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं अलीगढ़ आदि में फ्लैटेड फैक्ट्री सम्मिलित हैं।

2.16 राज्य सरकार द्वारा प्रमुख एक्सप्रेसवेज़ के किनारे **<u>इंटीग्रेटेड मैन्युफक्चरिंग क्लस्टर</u>** भी विकसित किए जा रहे हैं।

2.17 **<u>यूपी इन्वेस्टर्स समिट–2018</u>** की अभूतपूर्व सफलता राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रभावी कदमों का प्रमाण है। उक्त इन्वेस्टर्स समिट में ₹4.28 लाख करोड़ के 1,045 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 7,000 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों एवं 10 देशों के उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों ने प्रतिभाग किया।

2.18 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 की प्रभावी अवधि में राज्य में लगभग ₹3.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ, जिसमें तीन ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों में शुभारंभ किए गए निवेश सम्मिलित हैं, यथा– डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (अधिकांश मोबाइल एवं व्हाइट गुड्स), खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग सहित मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, हथकरघा एवं वस्त्र, लॉजिस्टिक्स एवं भंडारण, आईटी/आईटीईएस, पर्यटन आदि।

2.19 चूंकि उत्तर प्रदेश में देश में एमएसएमई की सबसे अधिक संख्या (लगभग, 90 लाख) है, अतः इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, एक जनपद–एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था तथा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत किया गया है, इसकी देश भर में प्रशंसा की गई है तथा न केवल स्थानीय उद्योगों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन में सफलता मिली है, अपितु इससे निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।

2.20 राज्य में ओडीओपी कार्यक्रम की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक ई–कॉमर्स प्रमुखों के साथ समझौते, सामान्य सुविधा केंद्रों का विकास, वित्तीय सहायता, टूल किट वितरण आदि सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

2.21 इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 की प्रभावी अवधि में राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन व सुविधा एजेंसी – 'इन्वेस्ट यूपी' की स्थापना की गई।

2.22 विगत् नीति की प्रभावी अवधि में ही कोविड–19 महामारी के कारण वैश्विक हानि भी हुई। तथापि, राज्य में तत्पर एवं कुशल शासन तंत्र के फलस्वरूप प्रदेश में व्यवसायों को न्यूनतम मानव–दिवस हानि हुई। राज्य को न केवल कोविड–19 प्रबंधन के लिए विश्वस्तर पर सराहा गया, अपितु भारत एवं विदेशों दोनों से नवीन निवेश भी आकर्षित हुए।

2.23 उपर्वर्णित संक्षिप्त संदर्भ के साथ उत्तर प्रदेश की यह नवीन औद्योगिक नीति नई उपलब्धियों सहित अब तक प्राप्त औद्योगीकरण की गति का लाभ उठाने तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिशीलता से सामंजस्य स्थापित करने की रणनीति प्रदान करती है।

2.24 इस नवीन नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील प्रकृति के दृष्टिगत् राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता एवं राज्य के वित्तीय उत्तरदायित्वों को संतुलित करने की आवश्यकता को महत्व प्रदान किया गया है।

2.25 इस नवीन नीति के निर्माण में प्रमुख क्षेत्रों, यथा– भूमि की उपलब्धता, निजी निवेशकों की सहायता, समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रोत्साहन–लाभ का ससमय अनुमोदन तथा राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से पृथक विकल्पों के साथ प्रोत्साहन संरचना जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर उद्योगों, औद्योगिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के फीडबैक पर यथोचित विचार किया गया है।

3. नीति का विज़न एवं कार्यान्वयन

3.1 विज़न

उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करके राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा स्थायी, सर्वसमावेशी एवं संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 मिशन

3.2.1 राज्य के 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रगतिशील, अभिनव एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम (Ecosystem) को प्रोत्साहित एवं स्थापित करना

3.2.2 राज्य में पूंजी निवेश में वृद्धि

3.2.3 औद्योगिक विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण करना

3.2.4 व्यापार अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रोत्साहित करना

3.2.5 कुशल व अकुशल कार्यबल/श्रमशक्ति हेतु अधिकतम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना

3.2.6 रोजगारपरकता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के श्रमबल (Workforce) को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना

3.2.7 नवाचार (इनोवेशन) की भावना तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना

3.2.8 संतुलित, स्थाई एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना

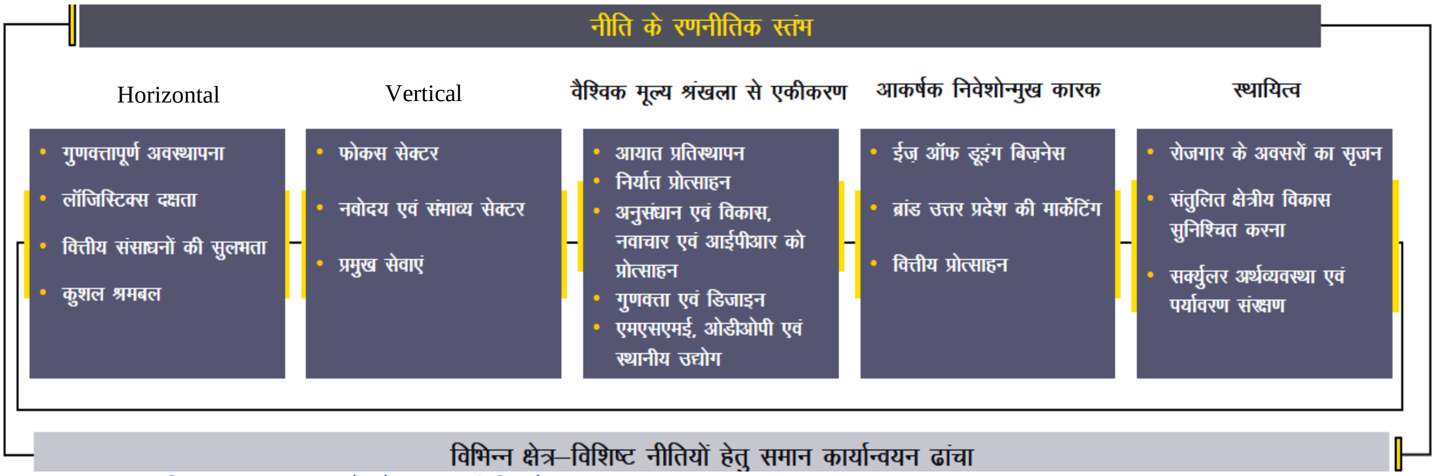

3.3 विजन प्राप्त करने हेतु रणनीतियाँ

नीति का लक्ष्य पांच प्रमुख स्तंभों के अधीन कार्यवाही के माध्यम से अपने विज़न एवं मिशन को प्राप्त करना है –

3.3.1 **Horizontal** में उत्पादन के प्रमुख कारकों की सुलभता हेतु उपाय–

i. गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं (भूमि को सम्मिलित करते हुए) का विकास, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक कोरिडोर्स, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कनेक्टिविटी– सड़क मार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग एवं डिजिटल, विद्युत, जल एवं जल निकासी।

ii. लॉजिस्टिक्स दक्षता

iii. वित्तपोषण की उपलब्धता

iv. कुशल जनशक्ति

3.3.2 **Vertical** में निम्नलिखित क्षेत्र–श्रेणियों में प्रमुख उपाय सम्मिलित हैं –

i. **फोकस सेक्टर**– वे सेक्टर, जो राज्य में आर्थिक विकास एवं प्रगति के प्रमुख चालक (Key Drivers) हैं तथा जिनके लिए राज्य की किसी भी वर्तमान क्षेत्र–विशिष्ट नीति के अंतर्गत समर्पित प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध है।

ii. **नवोदय (Sunrise) सेक्टर्स**– बदलते हुए बाजार के स्वरूप, नवीन प्रौद्योगिकियों तथा विकासशील भू–आर्थिक परिदृश्य के परिणामस्वरूप नवोदय सेक्टर अस्तित्व में आ रहे हैं, जो राज्य में भविष्य के विकास के चालक बन सकते हैं तथा जिनके विकास हेतु राज्य सरकार की किसी भी क्षेत्र–विशिष्ट नीतियों के अंतर्गत कोई समर्पित प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर कहा जाएगा।

iii. **सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर**– 'सेवाओं में प्रमुख सेक्टरों हेतु कार्य योजना' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए 12 सेवा सेक्टर

3.3.3 वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global value chain) एकीकरण स्तंभ में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे–

i. आयात प्रतिस्थापन

ii. निर्यात प्रोत्साहन

iii. अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को प्रोत्साहित करना

iv. गुणवत्ता एव डिजाइन की वृद्धि करना

v. एमएसएमई, ओडीओपी एवं स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना

3.3.4 **निवेश आकर्षण स्तंभ–**

i. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वृद्धि

ii. ब्रांड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग

iii. वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना

3.3.5 **Sustainability स्तंभ–**

i. रोजगार के अवसरों का सृजन करना

ii. संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना

iii. सर्क्युलर अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

रणनीति 1 : क्षैतिज स्तंभ

4. उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की सुलभता

औद्योगिक विकास हेतु सक्षम एवं सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। इससे न केवल व्यवसाय करने की संचालन लागत में कमी होती है, अपितु उच्चस्तरीय विकास एवं जीवन स्तर के साथ ही अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है।

सामान्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी अवस्थापना सुविधाएं, जो राज्य के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है एवं दीर्घकाल में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती हैं, को प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में निजी निवेश के महत्व को भलीभांति समझती है। अतः एक नियामक वातावरण सृजित करने हेतु उपाय किए जाएंगे, जो राज्य के नवीन तथा वर्तमान अवस्थापकीय ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित कर सकें तथा दीर्घकालिक विकास संभव हो सके। राज्य सरकार का आशय इस नीति के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं के साथ अवस्थापना विकास की योजना को और अधिक प्रभावी रूप से संरेखित करने का है।

उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में निम्नलिखित आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर केंद्रित उपाय करेगी –

4.1 भूमि बैंक का सृजन

4.1.1 औद्योगिक उपयोग हेतु गैर–कृषि, बंजर एवं अनुपयोगी भूमि की पूलिंग को प्रोत्साहित करके एक भूमि बैंक सृजित करना।

4.1.2 राज्य में निवेश हेतु उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार उद्योगों को ग्राम समाज की बंजर तथा अन्य अनुमन्य भूमि को औद्योगिक उद्यमों को औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए 50 वर्षों तक की लंबी अवधि के लिए प्रचलित सर्किल रेट के 1 प्रतिशत् पर पट्टे पर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी। सरकार की प्रचलित नीति के आधार पर पट्टे को 50 वर्षों के बाद भी विस्तारित किया जा सकता है। सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति करेगी तथा इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश पृथक रूप से निर्गत किए जाएंगे।

4.1.3 उद्योगों हेतु राजस्व संहिता के प्राविधानों में संशोधन करके उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि–उपयोग प्रबंधन को सरलीकृत किया जाएगा, यथा– कृषि भूमि को गैर–कृषि भूमि में परिवर्तित करना, भू–उपयोग में परिवर्तन, ग्राम समाज भूमि का निजी भूमि से विनिमय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि के विक्रय की अनुमति इत्यादि।

4.1.4 सरकार/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाले भूमि बैंक के उपयोग के उपाय किए जाएंगे।

4.1.5 निजी पक्षों (कृषकों सहित) हेतु औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऋणभार मुक्त भूमि के पट्टे अथवा विक्रय हेतु वेब आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करना। इस प्रकार के भूमि पार्सल के स्वामित्व/अभिलेखों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.1.6 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम समाज की भूमि को निःशुल्क प्राधिकरणों में निहित करना।

4.1.7 संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी स्थित ग्राम समाज की भूमि को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में उ.प्र. राजस्व संहिता–2006 के अंतर्गत् उपयुक्त निर्देश निर्गत करना।

4.1.8 राज्य में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूमि बैंक पूर्व से ही भारत सरकार के जीआईएस आधारित पोर्टल – भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (India Industrial Land Bank) के साथ एकीकृत हैं। राज्य सरकार प्रदेश के साथ–साथ भारत सरकार के जीआईएस पोर्टलों पर डेटा का लाइव अपडेशन सुनिश्चित करने के उपाय करेगी।

4.1.9 भूमि आवंटन हेतु आवेदन निवेश मित्र, राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाने की व्यवस्था प्रतिपादित करना।

4.2 औद्योगिक पार्कों एवं क्लस्टर्स को प्रोत्साहित करना

4.2.1 राज्य में एक्सप्रेसवे एवं फ्रेट कोरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करना।

4.2.2 औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं को अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सहित विभिन्न संसाधनों के माध्यम से उन्नयन करना।

4.2.3 क्षेत्र–विशिष्ट पार्कों एवं क्लस्टर्स का विकास करना अर्थात– पीपीपी सहित विभिन्न मॉडलों के माध्यम से मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, टॉय पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, आईटी पार्क आदि। सरकार ऐसे पार्कों के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ सामंजस्य हेतु उपाय करेगी।

4.2.4 फ्लैटेड फैक्ट्री में प्लग–एंड–प्ले सुविधाओं का निर्माण। इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

4.2.5 औद्योगिक कोरिडोर्स के विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय सेवाओं, उत्कृष्टता केंद्र, सीएफ़सी आदि जैसे क्षैतिज स्तंभों के विकास के माध्यम से क्लस्टर विकास के ढांचे को सुदृढ़ करना।

4.3 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

4.3.1 बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 20 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 30 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे–

i. मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में अधिकतम ₹40 करोड़ तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अधिकतम ₹45 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र स्थाई पूंजी निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत् की पूंजीगत् सब्सिडी।

ii. श्रमिकों के लिए छात्रावास / डॉरमेटरी आवास की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत् की दर से पूंजीगत् सब्सिडी अधिकतम ₹ 25 करोड़ की सीमा के अधीन।

iii. विकासकर्ता द्वारा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

4.3.2 संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों को राज्य सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी–

i. पात्र पूंजी निवेश (भूमि की लागत छोड़कर) की 25 प्रतिशत् पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम ₹80 करोड़ की सीमा के अधीन।

ii. औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए छात्रावास / डॉरमेटरी आवास की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत् की दर से पूंजीगत् सब्सिडी अधिकतम ₹50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।

iii. विकासकर्ता द्वारा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

iv. राज्य सरकार द्वारा वाहय अवस्थापना सुविधाओं के विकास यथा–सड़क (PWD विभाग द्वारा), विद्युत अवस्थापना तंत्र (ऊर्जा विभाग द्वारा) हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.3.3 निजी औद्योगिक पार्कों के अंतर्गत न्यूनतम पांच इकाइयां होनी चाहिए तथा उनमें से किसी भी एक इकाई द्वारा पार्क हेतु आवंटित भूमि का 80 प्रतिशत् से अधिक औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होना चाहिए।

4.3.4 उपर्युक्त प्रोत्साहनों का 75 प्रतिशत् कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत्, 50 प्रतिशत्, 75 प्रतिशत् एवं 100 प्रतिशत् पर किए गए व्यय के आधार पर चार किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

अगला 10 प्रतिशत्, नीति के अनुसार न्यूनतम संख्या में इकाइयों, जो कि पांच (5) है, को भूमि आवंटन के पूर्ण होने पर प्रदान किया जाएगा तथा अंतिम 15 प्रतिशत् प्रोत्साहन राशि पार्क में इन न्यूनतम इकाइयों की 80 प्रतिशत् इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के उपरांत जारी किया जाएगा।

4.3.5 वैश्विक एफएआर 02 की अनुमति होगी जिसमें से–

i. छात्रावास / डॉरमेटरी के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत् तक की अनुमति होगी (विक्रय नहीं किया जाएगा)

ii. वाणिज्यिक स्थान के लिए 2.5 प्रतिशत् (अतिरिक्त 1 प्रतिशत् यदि निजी विकासकर्ता एसपीवी गठित करता है, जिसमें कृषक/भूमिधर पार्क हेतु 50 प्रतिशत् से अधिक भूमि का योगदान करते हैं)

4.3.6 पार्क के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम 25 प्रतिशत् खुले क्षेत्र, हरित क्षेत्र एवं सामान्य अवस्थापना हेतु आरक्षित होना चाहिए

4.3.7 विकासकर्ताओं के कंसोर्टियम को अनुमति प्रदान की जाएगी

4.3.8 पार्क को 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना चाहिए

4.3.9 ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय एवं विद्युत वितरण लाइसेंस के प्राविधान की अनुमति होगी

4.3.10 औद्योगिक पार्क के भीतर मानचित्र अनुमोदन हेतु उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) प्राधिकृत होगा तथा ऐसे पार्कों पर यूपीसीडा के उपनियम लागू होंगे।

4.3.11 निजी औद्योगिक योजना के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

4.4 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि की व्यवस्था

4.4.1 ऐसे औद्योगिक निजी पार्क, जो 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित हैं, जिनमें न्यूनतम पांच इकाइयां हैं तथा जिनमें से किसी भी एक इकाई द्वारा पार्क हेतु आवंटित भूमि का 80 प्रतिशत् से अधिक औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया है, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास/अन्य विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर भूमि अधिग्रहण में निजी विकासकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

4.4.2 इस हेतु कुल भूमि क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत् के अधिग्रहण (पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ) पर एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस–क्षेत्र के अन्तर्गत विकासकर्ता को विकास/निर्माण का एकाधिकार होगा तथा इसके लिए आवेदित किए संपूर्ण क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारी का मानचित्र अनुमोदन स्वीकार किया जायेगा। ऐसे लाइसेंस–क्षेत्रों में किसी अन्य आवेदक का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास/निर्माण को भी नियंत्रित किया जायेगा।

4.4.3 प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क के लिए लाइसेंस निर्गत होने के 18 माह के भीतर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तब तक विकासकर्ता द्वारा कुल भूमि का 60 प्रतिशत् (लैंड पूलिंग एग्रीमेंट/कृषकों के साथ विक्रय विलेख सहित) अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

4.4.4 मानचित्र का अनुमोदन यूपीसीडा द्वारा अपने उपनियमों के अनुसार किया जाएगा। मानचित्र का अनुमोदन लाइसेंस निर्गत होने के 02 वर्ष के भीतर करना होगा। उक्त समयावधि में विकासकर्ता द्वारा 75 प्रतिशत् भूमि अधिग्रहण (लैंड पूलिंग एग्रीमेंट/ विक्रय विलेख सहित) पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

4.4.5 विकासकर्ता द्वारा निजी औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि की 80 प्रतिशत् भूमि की प्राप्ति के उपरान्त, यदि भूमि के अधिग्रहण में कोई समस्या आती है, तो शेष भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार समकक्ष राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर यूपीसीडा द्वारा अधिग्रहित कर नियमानुसार विकासकर्ता को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाएगा।

4.4.6 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु लाइसेंसिंग योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किए जाएंगे।

4.5 त्वरित (फास्ट–ट्रैक) भूमि आवंटन

4.5.1 निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशकों को फास्ट–ट्रैक आधार पर अधिमान्य (Preferential) भूमि आवंटन किया जाएगा–

i. डीपीआर के अनुसार तथा इस नीति में परिभाषित सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं

ii. डीपीआर के अनुसार तथा इस नीति में परिभाषित मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की ऐसी परियोजनाएं, जो निम्नलिखित में से किसी अर्हता (qualification) को पूर्ण करती हों–

(क) 100 प्रतिशत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली परियोजनाएं

(ख) फॉर्च्यून ग्लोबल–500/2000, इकोनॉमिक टाइम्स–200/ 500 तथा फोर्ब्स ग्लोबल–2000/ एशिया बेस्ट–200/ एशिया बेस्ट–50 कंपनियों में विगत् निरंतर 03 वर्षों में सम्मिलित कंपनियां एवं उनकी होल्डिंग/सहायक कंपनियां

iii. सरकारी होल्डिंग वाले राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के औद्योगिक सार्वजनिक उपक्रम, जो इस नीति के अनुसार वृहद् श्रेणी में परिभाषित हों

4.5.2 इस प्रकार के फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन हेतु आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, इन्वेस्ट यूपी द्वारा डीपीआर एवं निर्धारित किए गए अन्य मापदंडों के आधार पर आवेदन की जांच की जाएगी।

4.5.3 इन्वेस्ट यूपी द्वारा की गई जांच के आधार पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन समिति उक्त आवंटन हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी।

4.5.4 फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन समिति के अनुमोदनोपरान्त, ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां प्रत्यक्ष भूमि आवंटन की अनुमति है, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे निवेशक के पक्ष में निर्धारित मानक प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार भूखंड आवंटित किया जाएगा। एक से अधिक आवेदक होने के प्रकरण में, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अधिकतम पूंजी निवेश करने वाले आवेदक को भूमि आवंटित की जाएगी।

4.5.5 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में जहां भूमि नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती है, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे निवेशक के पक्ष में नीलामी की प्रक्रिया के बिना भूमि का आवंटन प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। किन्तु ऐसे सभी प्रकरणों में भूमि का मूल्य इस प्रकार होगा : भूखण्ड का आधार दर (base rate) + आधार दर का अतिरिक्त 15 प्रतिशत्। एक ही भूखण्ड हेतु अनेक फास्ट ट्रैक आवेदक होने के प्रकरण में, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अधिकतम पूंजी निवेश करने वाले आवेदक को प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार भूमि आवंटित की जाएगी।

4.6 निवेश क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर्स एवं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु एक्सप्रेसवेज़ एवं डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का लाभ प्राप्त करना

4.6.1 प्रमुख बाजारों तक Speedy access, जल एवं विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति, उत्कृष्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तथा रिसाइक्लिंग सुविधाओं आदि से युक्त औद्योगिक निवेश क्षेत्र तथा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निवेशकों एवं निर्माताओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

4.6.2 उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवेज़ एवं फ्रेट कोरिडोर के किनारे आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उन्नत अवस्थापना एवं उत्कृष्ट सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों एवं क्लस्टर्स के विकास की योजना है।

4.6.3 राज्य सरकार ईडीएफसी एवं डब्ल्यूडीएफसी के सफल एवं ससमय विकास हेतु भारत सरकार को सभी आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाएगा तथा इन कोरिडोर्स के आसन्न परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में वृद्धि हो सके।

4.6.4 दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर तथा अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर के आच्छादित क्षेत्रों का काफी भाग राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार इन औद्योगिक कोरिडोर्स का लाभ प्राप्त करने तथा राज्य के अत्याधुनिक एक्सप्रेसवेज़ के किनारे नए औद्योगिक कोरिडोर्स विकसित करने का उपाय करेगी।

4.6.5 आगरा एवं प्रयागराज में रणनीतिक रूप से डब्ल्यूडीएफसी के निकट स्थित औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध कनेक्टिविटी एवं विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स फास्ट–ट्रैक मोड पर विकसित किए जाएंगे।

4.6.6 माह जनवरी, 2022 तक उत्तर प्रदेश में 24 स्वीकृत विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) हैं, जिनमें से 21 को एसईजेड अधिनियम–2005 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा उनमें से 14 संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के केंद्रीय बजट में घोषित एसईजेड अधिनियम के स्थान पर उद्यम एवं सेवा केंद्रों के प्रस्तावित विकास (Development of Enterprise & Service

Hubs-DESH) के साथ संरेखित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के नीतिगत ढांचे को संरेखित करेगी।

4.7 सड़क कनेक्टिविटी

4.7.1 भारत के 37.5 प्रतिशत् एक्सप्रेसवे प्रदेश में हैं।

4.7.2 प्रदेश में 06 एक्सप्रेसवे पूर्ण (1225 किलोमीटर) हो चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 07 और एक्सप्रेसवेज़ को विकसित करके राज्य में एक्सप्रेसवे का एक उत्कृष्ट नेटवर्क बनाने की योजना है, जिससे राज्य में बाजार एकीकरण एवं लॉजिस्टिक्स दक्षता को और अधिक सक्षम किया जा सके।

4.7.3 उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में गुणवत्तापूर्ण 4–लेन एवं 6–लेन राजमार्गों को विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी।

4.7.4 कार्गो के आवागमन में आने वाली बाधाओं, यथा– नो–एंट्री जोन, कंजेशन व चोक पॉइंट आदि को नियमित रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उन बाधाओं का निराकरण करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करके कार्यान्वित किया जायेगा।

4.7.5 प्रमुख कृषि एकत्रीकरण बिंदुओं, आर्थिक विकास केंद्रों, निर्यात व औद्योगिक केंद्रों को एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के नेटवर्क को इष्टतम बनाया जाएगा।

4.7.6 राज्य सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकों के माध्यम से उन्नत यातायात प्रबंधन की योजना है।

4.8 रेलमार्ग कनेक्टिविटी

4.8.1 राज्य में रेल कनेक्टिविटी में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से राज्य में रेलवे नेटवर्क की पहुंच एवं घनत्व में वृद्धि का अनुरोध करेगी।

4.8.2 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की यातायात आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाने का प्रयास करेगी।

4.8.3 अंतिम व प्रथम मील की सुगम कनेक्टिविटी (Smooth last & first mile connectivity) सुनिश्चित करने हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स के रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले समर्पित सड़क नेटवर्क के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी सड़कों में किसी भी प्रकार की भीड़–भाड़/बाधाओं का समाधान किया जाएगा।

4.9 वायुमार्ग कनेक्टिविटी

4.9.1 राज्य में वायुमार्ग कनेक्टिविटी उत्तम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों को देश के शेष भागों से जोड़ने के लिए नए हवाई–अड्डों का विकास की योजना है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.9.2 विमानन क्षेत्र में वृद्धि हेतु विमान के लिए पर्याप्त मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल (Maintenance, Repair & Overhaul - MRO) सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। गौतम बौद्ध नगर के जेवर में प्रस्तावित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एमआरओ हब के

विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हवाई अड्डों के निकट अथवा नए स्थानों पर एमआरओ सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति प्रारंभ की गई है।

4.10 जलमार्ग

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टर्मिनलों, संबंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा प्रयागराज, वाराणसी एवं हल्दिया समुद्र पत्तन को जोड़ने वाले जलमार्ग–1 के सन्निकट प्रमुख हितधारकों को चिन्हित करने की योजना है। इससे राज्य को गंगा जलमार्ग के माध्यम से माल के विश्वसनीय एवं कम मूल्य में आवागमन से लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

4.11 डिजिटल कनेक्टिविटी

डिजिटल कनेक्टिविटी का विकास उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप, यह नीति का आशय भारत को डिजिटल सशक्त समाज एवं नॉलेज अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का है। इस दिशा में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड के विकास से संबंधित संस्थाओं को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सभी की पहुंच सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के विकास की योजना है।

4.12 विद्युत आपूर्ति

गुणवत्तापरक एवं निर्बाध विद्युत उपलब्धता उद्योगों के लिए उत्पादन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। राज्य सरकार सुधारों के कार्यान्वयन तथा मांग–आपूर्ति घाटे (Demand Supply deficit) को समाप्त करके ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस हेतु नीति में निम्नलिखित कार्य–योजना की परिकल्पना की गई है –

4.12.1 राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं क्षमता वृद्धि में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।

4.12.2 प्रशासनिक उपायों, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने तथा पुलिस थानों की स्थापना द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के उपाय किए जाएंगे।

4.12.3 न्यूनतम निर्दिष्ट भार वाले औद्योगिक क्लस्टर्स को चिन्हित करके उन्हें स्वतंत्र फीडर उपलब्ध कराना एवं विद्युत कटौती से मुक्त करना।

4.12.4 विद्युत भार को बढ़ाने, घटाने तथा सरेंडर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

4.12.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्योगों द्वारा अपनी लागत से निर्मित समर्पित फीडर, किसी भी स्थिति में, औद्योगिक भार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किए जाएं।

4.12.6 राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में सभी नए विद्युत संयोजनों के लिए ओपन एक्सेस तथा विद्युत अधिनियम–2003 के अनुसार निजी औद्योगिक पार्कों के लिए सिंगल प्वाइंट ओपन एक्सेस की भी अनुमति प्रदान की जाएगी।

4.12.7 विद्युत संयोजन से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

4.13 जलापूर्ति एवं जल–निकासी

4.13.1 उद्योगों की आवश्यकतानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने एवं जल व अपशिष्ट के लिए जल–निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तथा राज्य के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को और उत्तम बनाने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा।

4.13.2 उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर जल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

4.13.3 उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए जल के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) एवं औद्योगिक जल उपयोग के लिए पृथक पाइपलाइन बिछाने हेतु भूजल नीति के अनुसार यथोचित महत्व दिया जाएगा।

4.13.4 राज्य सरकार वर्षा जल संचयन (Rain Water Hervasting) को प्रोत्साहित करेगी।

4.13.5 यह नीति समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के औद्योगिक क्षेत्रों/सेक्टरर्स में आवश्यक जल संयोजन एवं जल–निकासी की सुविधा प्रदान करने का भी आशय रखती है।

5. लॉजिस्टिक्स दक्षता सुनिश्चित करना

राज्य सरकार उद्यमों के लिए लॉजिस्टिक की सुलभता एवं दक्षता में सुधार के महत्व को समझती है। उत्पादों एवं सेवाओं के वितरण के लिए यथावश्यकता लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अतिमहत्वपूर्ण होता है, जो अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से निम्नलिखित उपाय किए जाने की योजना है–

5.1 राज्य के समस्त विभागों द्वारा उ.प्र. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत योजना बनाई जाएगी। लॉजिस्टिक्स अवस्थापना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग कार्य करेगें।

5.2 समर्पित वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु एक जीवंत ecosystem सुनिश्चित करना।

5.3 राज्य के प्रमुख नगरों की एकीकृत राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजना एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

5.4 ईडीएफसी (Eastern Dedicated Freight Corridor) एवं डब्ल्यूडीएफसी (Western Dedicated Freight Corridor) का लाभ प्राप्त करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इन कोरिडोर्स के सन्निकट की परियोजनाओं की ससमय पूर्णता सुनिश्चित करना।

5.5 राज्य के रणनीतिक स्थानों एवं डब्ल्यूडीएफसी व ईडीएफसी के सन्निकट क्षेत्रों में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स तथा ट्रांसपोर्ट हब को प्रोत्साहित करना।

5.6 शुष्क बंदरगाहों को बढ़ावा देना; निर्यात में वृद्धि हेतु मल्टी–मोडल परिवहन नेटवर्क तथा आर्थिक नोड्स/औद्योगिक क्लस्टर्स के साथ–साथ घरेलू उद्योग के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निर्यात–आयात (EXIM) से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के मध्य कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

5.7 वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क का एक कनेक्टिविटी वेब विकसित करना, जो राज्य के उद्योगों एवं विनिर्माण इकाइयों को परिवहन के विभिन्न साधनों का निर्बाध रूप से उपयोग करने में सहायता करेगा।

6. वित्तीय संसाधनों की सुलभता

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार ने हाल ही में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं।

राज्य में निवेश हेतु वित्तीय सुगमता के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है–

6.1 इस नीति में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश हेतु आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन।

6.2 राज्य में फिनटेक सिटी का विकास एवं वित्तीय उपलब्धता हेतु इसका लाभ उठाना।

6.3 औद्योगिक अवस्थापना के विकास हेतु बहुपक्षीय बैंकों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की निधियों का लाभ उठाते हुए एक अवस्थापना विकास कोष बनाने की संभावना पर कार्यवाही।

6.4 एमएसएमई को बैंकिंग एवं अन्य माध्यमों का उपयोग करने के अतिरिक्त उनकी वित्तीय आवश्यकताओं हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.5 एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत ₹ 2 करोड़ की सीमा तक के संपार्श्विक (कोलैटरल) मुक्त ऋण (Collateral free loan) प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को एकमुश्त गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी।

6.6 विभिन्न योजनाओं, यथा– विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता।

6.7 राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रारंभ किए गए स्टार्टअप्स हेतु ₹1,000 करोड़ के फंड को सुव्यवस्थित करना।

6.8 उद्यम पूंजी निवेशकों (Venture Capital investors) तथा बिज़नेस ऐंजिल्स (Business Angels) को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करना।

7. कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय का लाभ प्राप्त करना

त्वरित आर्थिक विकास हेतु कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। भारत की जनसंख्या का लगभग पांचवां भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जिसमें से 60 प्रतिशत् कामकाजी आयु वर्ग में है। राज्य सरकार का ध्येय वर्तमान और भविष्य की उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इस आयु वर्ग के कौशल को संरेखित करके राज्य के औद्योगिक विकास हेतु इस विशाल जनसांख्यिकीय का लाभ उठाना है।

इस नीति का उद्देश्य क्षेत्र–विशिष्ट उच्च–गुणवत्ता के मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राविधान करना है, जिसके लिए निम्नलिखित कार्य योजना की परिकल्पना की गई है–

7.1 उत्तर प्रदेश सरकार समय–समय पर उद्योग–विशिष्ट Skill gap, उदीयमान क्षेत्र की भूमिकाओं एवं उपभोक्ता बाजार की प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं को चिन्हित करेगी तथा वर्तमान आईटीआई, पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में उद्योगपरक अल्पकालिक, दीर्घकालिक एवं मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी तथा साथ ही पाठ्यक्रम सामग्री एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सक्रिय उपयोगकर्ता–उद्योग के प्रतिभाग को सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण प्रदाताओं को उपलब्ध कराएगी।

7.2 राज्य सरकार क्षेत्र–विशिष्ट से संबंधित कुशल जनशक्ति आधार में वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश से जनशक्ति की भर्ती के इच्छुक नियोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। राज्य के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सहयोग हेतु ऐसे उद्योगों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने की रणनीति तैयार की जाएगी।

7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी (Social Capital) के उपयोग पर विशेष ध्यान देते हुए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स/पार्कों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग एवं महिला उद्यमियों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7.5 कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार योग्य युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

7.6 आधुनिक कौशल में रियायती दरों पर कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी शिक्षा (EdTech) तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी को सुगम बनाया जाएगा।

7.7 कुशल कार्यबल बढ़ाने के लिए मेगा मल्टी/सेक्टर केंद्रित कौशल पार्क/हब स्थापित किए जाएंगे।

7.8 उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कॉलेजों को क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ा जा सके।

7.9 उद्योगों को कुशल एवं अकुशल कार्यबल का 'पूल' उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा कार्यबल उपलब्ध नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आवश्यक पाठ्यक्रम विकसित करेगी तथा कार्यबल को कौशल प्रदान करेगी।

7.10 राज्य सरकार द्वारा 'एक परिवार–एक पहचान पत्र' प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के रोजगार की स्थिति को संकलित किया जाएगा।

7.11 कार्यबल की आवश्यकता वाले उद्योगों को मैच–मेकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवायोजन, सेवा मित्र, ई–श्रम आदि जैसे पोर्टलों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालय की सुगम एक्सेस प्रदान की जाएगी।

रणनीति 2 : उर्ध्वाधर स्तंभ (Vetical Pillars)

8. क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण – भविष्य के विकास हेतु लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सकारात्मक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना

8.1 फोकस क्षेत्र

राज्य में कुछ क्षेत्रों में स्थान, संसाधनों, कौशल–आधार, उपलब्ध कच्चे माल, विद्यमान विनिर्माण प्रथाओं एवं विशेषज्ञता के कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। ऐसे क्षेत्र राज्य में आर्थिक विकास तथा विकास के चालक हैं।

अतः राज्य सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल एक समर्पित नीतिगत् ढांचा विकसित करना तथा यथावश्यकता वर्तमान नीतियों को उपयुक्त रूप से संशोधित करना है।

इस प्रकार के क्षेत्र निम्नवत् हैं–

8.1.1 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

8.1.2 हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

8.1.3 पर्यटन

8.1.4 एमएसएमई

8.1.5 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

8.1.6 डाटा सेंटर

8.1.7 रक्षा एवं एयरोस्पेस

8.1.8 भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स

8.1.9 डेयरी एवं कुक्कुट विकास

8.1.10 आईटी/आईटीईएस

8.1.11 स्टार्ट–अप

8.1.12 इलेक्ट्रिक वाहन

8.1.13 फिल्म

8.1.14 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा)

8.1.15 फार्मास्यूटिकल्स

8.1.16 नागरिक उड्डयन

8.1.17 जैव ईंधन

8.1.18 सेमीकंडक्टर

8.1.19 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स (एवीजीसी)

8.1.20 मेगा मल्टीसेक्टर केंद्रित कौशल पार्क्स/हब

उक्त क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा बाजार के परिदृश्य एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के आधार पर समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा सकता है।

8.2 नवोदय एवं संभाव्य क्षेत्र (Sunrise & Potential sectors)

बाजार के परिवर्तित होते हुए परिदृश्य, आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं अन्य विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप नवोदय क्षेत्रों का उद्भव हो रहा है, जो राज्य में भविष्य के विकास के चालक बन सकते हैं।

इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र, जिनमें विकास, विविधीकरण एवं निवेश की उच्च क्षमता विद्यमान है तथा जिन क्षेत्रों हेतु सरकार की विशिष्ट नीतियों के अंतर्गत समर्पित प्रोत्साहन तंत्र नहीं है, उन्हें नवोदय (Sunrise sector) सेक्टर एवं संभाव्य सेक्टर (Potential sector) कहा जाएगा।

इनमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं–

8.2.1 हरित हाइड्रोजन उत्पादन

8.2.2 भारी विद्युत व ऊर्जा उपकरण, अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी तथा प्रक्रिया संयंत्र उपकरण सहित कैपिटल गुड्स

8.2.3 बल्क कैमिकल्स, स्पेशियलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पॉलिमर पेट्रोकेमिकल एवं उर्वरक

8.2.4 विमान एवं संबंधित घटकों का विनिर्माण

8.2.5 हवाईअड्डे, पंप भंडारण संयंत्रों आदि के विकास सहित अवस्थापना परियोजनाएं, जो समय–समय पर अधिसूचित उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट नीति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं

8.2.6 ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोटिव

8.2.7 पीएलआई (Product Linked Incentive) क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी क्षेत्र–विशिष्ट नीति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं

इस नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत उक्त प्रकार के क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा बाजार की परिवर्तनशीलता एवं उद्योगों की मांग के आधार पर समय–समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों की एक नकारात्मक सूची अधिसूचित की जाएगी जो इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

8.3 सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर (Champion sectors in Service Industry)

'सेवाओं में प्रमुख सेक्टरों हेतु कार्य योजना' के अंतर्गत चिन्हित 12 सेवा सेक्टरों को भारत सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन हेतु अनुमोदित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से कुछ क्षेत्रों, यथा–आईटी/आईटीईएस, पर्यटन आदि हेतु पूर्व से ही समर्पित (डेडीकेटेड) नीतियों को अधिसूचित कर दिया है।

यद्यपि, राज्य सरकार प्रदेश में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ संरेखण (Alignment) में भी इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित कार्यवाही करेगी।

इनमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे–

8.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाए (आईटी/आईटीईएस)

8.3.2 पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं

8.3.3 चिकित्सा लाभ से संबंधित यात्रा

8.3.4 परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं

8.3.5 लेखा एवं वित्त सेवाएं

8.3.6 श्रव्य–दृश्य सेवाएं (ऑडियो–विजुअल सर्विसेज़)

8.3.7 कानूनी सेवाएं

8.3.8 संचार सेवाएं

8.3.9 निर्माण एवं संबंधित अभियंत्रण सेवाएं

8.3.10 पर्यावरण सेवाएं

8.3.11 वित्तीय सेवाएं

8.3.12 शिक्षा सेवाएं

रणनीति 3 : वैश्विक मूल्य–श्रंखला का एकीकरण

9. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश – वैश्विक मूल्य श्रंखला से एकीकरण

उत्तर प्रदेश त्वरित गति से देश में सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण स्थल के रूप में उभर रहा है तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मूल्य–श्रृंखला को विस्तारित करने तथा वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखलाओं के साथ उत्तम एकीकरण के साथ ही नीति 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के विज़न को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार की निम्नलिखित कार्य–योजना की परिकल्पना है–

9.1 आयात प्रतिस्थापन

9.1.1 राज्य में इस प्रकार के निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त (टॉप–अप) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसकी इस नीति में आगामी अध्यायों में व्याख्या की गई है।

9.1.2 प्रोत्साहन–लाभों, अनुसंधान एवं विकास अनुदान तथा एक Scalable एमएसएमई ecosystem के साथ संबद्ध 'क्लस्टर' बनाकर High value-added विनिर्माण में सम्मिलित एंकर निजी उद्यमों को एक साथ आकर्षित करना।

9.1.3 आयातित उत्पादों को जनपद स्तर पर चिन्हित करना तथा ऐसे / स्थानापन्न उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना

9.1.4 इंडस्ट्री 4.0 उत्कृष्टता केंद्रों (सेण्टर ऑफ़ एक्सिलेंस) को शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने के साथ सक्षमता प्रयोगशालाओं, इन्क्यूबेशन केंद्रों तथा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

9.1.5 प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान अवशोषण (Knowledge Absorption) के लिए शिक्षा संस्थानों, सरकार, नियामकों एवं उद्योगों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना

9.1.6 राज्य में शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमियों एवं स्थानीय व्यवसायों के साथ वैश्विक शैक्षणिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना

9.1.7 उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुये बाजार पहुंच को सुगम बनाना

9.2 निर्यात प्रोत्साहन

9.2.1 राज्य भर में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक हब, विशेष औद्योगिक परिक्षेत्रों आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना।

9.2.2 उत्तर प्रदेश सरकार एक समर्पित नीति के माध्यम से निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी, जिसमें विपणन सहायता, वायुमार्ग द्वारा भेजे गए निर्यात कार्गो पर सब्सिडी तथा गेटवे पोर्ट पर माल ढुलाई शुल्क पर सब्सिडी जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

9.2.3 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निर्यातोन्मुखी अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करेगी।

9.2.4 निर्यातकों की बाजार तक आसान पहुंच एवं नियामक (रेग्यूलेटरी) आवश्यकता से संबंधित जानकारी प्रदान करना।

9.2.5 विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन निकायों के मध्य परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समन्वय के साथ–साथ निर्यातकों की समस्याओं के समाधान हेतु भी ''निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो'' नोडल एजेन्सी होगा।

9.2.6 'एक जनपद–एक उत्पाद' (ओडीओपी) कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

9.2.7 निर्यात प्रोत्साहन के लिए जनपद–स्तरीय कार्य योजना निरूपित की जाएगी।

9.2.8 एक ऐसी लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रभावशीलता पर केंद्रित कार्यवाही की जाएगी, जो लागत कम करने के विकल्प प्रदान करती है।

9.3 अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रोत्साहन

9.3.1 राज्य में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस हेतु भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index) रैंकिंग में शीर्ष के तीन राज्यों में स्थान प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।

9.3.2 आंतरिक एवं एकल आधार पर अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/परिसंपत्तियों को प्रोत्साहित करके औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

9.3.3 इस नीति के साथ–साथ राज्य की अन्य विभिन्न क्षेत्र–विशिष्ट नीतियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुदान प्रदान किया जाएगा।

9.3.4 स्टार्टअप्स के लिए उपयुक्त ecosystem का सृजन करके राज्य के समस्त जनपदों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना।

9.3.5 राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में नए इनक्यूबेटर एवं एक्सेलेरेटर स्थापित करना।

9.3.6 स्थानीय नवोन्मेषकों की व्यावसायिक प्रथाओं में बौद्धिक संपदा के महत्व को स्थापित करने हेतु टियर–1 एवं टियर–2 नगरों के अतिरिक्त धरातल पर दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के संबंध में जागरूकता को अगले स्तर तक बढ़ाना।

9.3.7 एमएसएमई, उद्योग एवं शिक्षा जगत में बौद्धिक सम्पदा के व्यावसायीकरण सम्बन्धी गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु उनके मध्य संवाद के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करना।

9.4 गुणवत्ता एवं डिजाइन को प्रोत्साहन

9.4.1 राज्य में एमएसएमई द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा दिया जाएगा

9.4.2 परीक्षण प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं एवं टूल रूम्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.4.3 ओडीओपी उत्पादों एवं सामान्य रूप से एमएसएमई के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभिन्न संस्थाओं, यथा– क्यूसीआई, बीआईएस आदि के साथ सहयोग हेतु ढांचा तैयार किया जाएगा।

9.4.4 विभिन्न डिजाइन संस्थाओं के साथ सहयोग एवं रणनीतिक गठबंधन का ढांचा तैयार किया जाएगा।

9.5 एमएसएमई, ओडीओपी एवं स्थानीय उद्योगों की सहायता

9.5.1 डिजिटल बिजनेस मैच–मेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओडीओपी एवं एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार किया जाएगा।

9.5.2 स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए ओडीओपी कार्यक्रम को 'एक स्टेशन–एक उत्पाद' अवधारणा के साथ संरेखित किया जाएगा।

9.5.3 ओडीओपी और उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों की ब्रांड वैल्यू विकसित करने तथा निर्माताओं को अपनी विनिर्माण प्रक्रिया को अनुरूपता में स्थानीयकृत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर व्यवस्था की जाएगी। दीर्घकाल में यह व्यवस्था विश्व के बाजारों में उत्तर प्रदेश–निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एक प्रमुख भूमिका होगी, जिससे वैश्विक बाजारों में उत्तर प्रदेश की स्थिति और सुदृढ़ होगी।

9.5.4 एमएसएमई में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन

9.5.5 Asset-lite उद्यमों एवं साझा अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहन

9.5.6 नई तकनीक के अंगीकरण को प्रोत्साहन

9.5.7 सार्वजनिक क्रय विनियमों के प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण

9.5.8 सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना

रणनीति 4 : निवेश आकर्षण

10. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस – अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है तथा बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में प्रदेश को 'अचीवर स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण करने के फलस्वरुप प्रदेश में व्यापार के लिये अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा कार्यों के समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रकार से किए जाने तथा समयबद्ध स्वीकृतियों द्वारा बेहतर एवं उत्तरदायी फैसिलिटेशन सेवाओं को विकसित किया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्ययोजना बनाई गयी है–

10.1 नियामक अनुपालन भार को कम करना (Minimizing Regulatory Compliance Burden)

10.1.1 नियामक अनुपालन भार (रेग्यूलेटरी कम्प्लायन्स बर्डन) को प्रमुखतः तीन रणनीतियों के माध्यम से कम किया जायेगा।

i. सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्संरचना, डिजीटेलाईजेशन, युक्तिसंगतिकरण (Rationalisation)।

ii. वैधीकरण (Decriminalisation)

iii. अप्रयुक्त अधिनियमों/नियमों के निरसन अथवा संशोधन के प्राविधानों को द्रुतगति से सम्पन्न करना।

10.1.2 विभागों द्वारा अनुपालनों का चिन्हीकरण/न्यूनीकरण/सरलीकरण तथा वैधीकरण (Decriminalisation) सुनिश्चित किया जायेगा।

10.2 प्रक्रियाओं का सरलीकरण

10.2.1 ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पांच न्यून–जोखिम (Low risk) अनुमोदनों के लिए स्व–प्रमाणन की व्यवस्था की गई है।

10.2.2 राज्य में बिजनेस प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 17 से अधिक सेवाओं के स्वतः नवीनीकरण (Auto-renewal) की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त 7 से अधिक लाइसेन्सों के नवीनकरण की आवश्यकता को ईज़–ऑफ डूईंग बिजनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में समाप्त किया गया है।

10.2.3 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेन्सों से संबंधित अधिनियमों, नियमों, आवेदन पत्रों एवं प्रक्रियाओं, की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रदेश सरकार यथासम्भव–

i. विद्यमान नियामक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्तित्व में विद्यमान नियमों को युक्तिसंगत बनाएगी/ समाप्त अथवा संशोधन करेगी।

ii. स्व–प्रमाणन, स्वतः अनुमोदन (डीम्ड एप्रूवल) को माना जाना तथा तृतीय पक्ष प्रमाणन से संबंधित प्राविधानों को लागू करेगी।

10.3 समयबद्ध स्वीकृतियां

10.3.1 उत्तर प्रदेश में में 100 से अधिक सरकारी सेवाओं को उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित किया गया है, जिसमें इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु समय–सीमा का निर्धारण किया गया है।

10.3.2 इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृति /अनुमोदन/अनुमति/लाईसेन्स से सम्बन्धित अपने सभी विद्यमान अधिनियमों, नियमों एवं प्रक्रियों की नियमित रूप से समीक्षा करेगी तथा जहां भी सम्भव हो–

i. समय–सीमा को युक्तिसंगत बनायेगी।

ii. निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु जनपदस्तरीय अधिकारियों को आवश्यक अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जायेगा।

iii. प्रत्येक सेवा के समय से निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जायेगा।

10.4 सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स

10.4.1 उत्तर प्रदेश का सिंगल विण्डो पोर्टल – 'निवेश मित्र' राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के सिंगल विण्डों पोर्टलों में से एक सबसे बड़ा सिंगल विण्डो पोर्टल है। इसके माध्यम से 29 विभागों की 353 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। माह सितम्बर, 2022 तक, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 8 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है।

10.4.2 उक्त के अतिरिक्त, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमों को बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेवायें प्रदान करती है, अतः सेवाओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा–

i. क्षेत्रीय आवश्यकताएं

ii. स्थापना से पूर्व तथा स्थापना के उपरान्त की आवश्यकताएं।

10.4.3 आवदेक को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रसांगिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सेवायें प्रदान की जाएगी।

10.4.4 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय स्थापित व संचालित करने के लिए आवश्यक नवीन सेवाओं को चिन्हित किया जाएगा, इस हेतु औद्योगिक हितधारकों/घरानों, औद्योगिक संगठनों, विभागों आदि से परामर्श लिया जायेगा। ऐसी सेवाओं को सम्बन्धित विभाग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तथा व्यवसायों के लिए वन–स्टाप–साल्यूशन प्रदान करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा।

10.5 औद्योगिक सुरक्षा

10.5.1 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक सुरक्षित औद्योगिक वातावरण प्रदान करना चाहती है।

10.5.2 इसके लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड, पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टरों/क्षेत्रों में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

10.5.3 प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों/क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस व अग्निशमन केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे।

10.6 अन्य प्रवर्तक

10.6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में लागू किए गए ईज़ ऑफ ड्ईंग बिजनेस रिफॉर्म्स को जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, साथ ही साथ उद्यमियों/आवेदकों, विभागों और नागरिकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर कार्यशालाएं व प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रकर जनपद स्तर पर सुधार से अर्जित अनुभव से बिजनेस रिफॉम्स एक्शन प्लान से सम्बन्धित रैंकिंग में अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को उच्चत्तर रैंकिंग प्राप्त करने में लाभप्रद होगा।

10.6.2 निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठकों में सम्मिलित प्रकरणों के चिन्हीकरण तथा उनको संबंधित विभागों को समाधान हेतु प्रेषित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया जायेगा।

10.6.3 उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले समस्त विभागों में ग्राहकोन्मुख मानसिकता (Client Oriented Mindset) को बढ़ावा देने के लिए विशेष सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

10.6.4 उत्तर प्रदेश में माह मई 2020 से समस्त 75 जनपदों को 3 प्रमुख मापदंडों यथा स्वीकृत आवेदनों के निस्तारण, उपयोगकर्ता (उद्यमी) फीडबैक एवं शिकायतों के निवारण के आधार पर रैंकिंग हेतु जनपद स्तरीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में मासिक रैंकिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। जनपदों की मासिक रैंकिंग की गणना निवेश मित्र के माध्यम से की जा रही है तथा इसे प्रत्येक जिलाधिकारी को संबंधित जनपद के मासिक प्रदर्शन के विषय में सूचित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि यह राज्य के जनपदों के मध्य बेहतर व्यवसायिक वातावरण प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

10.6.5 राज्य सरकार ने अनुबंध प्रवर्तन (Contract enforcement) के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रमुख जनपदों में 13 वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा संपूर्ण न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा।

10.6.6 भारत सरकार की चारों श्रम संहिताओं से संबंधित नियम राज्य में अधिसूचित किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित करने एवं संहिताएं लागू होने के बाद इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

11. 'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग – निवेश प्रोत्साहन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षण

'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने तथा प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा उत्तर प्रदेश की छवि को **'सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य'** के रूप में स्थापित करने हेतु एक व्यापक रणनीति के साथ निवेश प्रोत्साहन का एक पूरक ढांचा आवश्यक है।

इस हेतु निम्नलिखित कार्य योजना की परिकल्पना की गई है–

11.1 रणनीतिक क्षेत्रों, सेक्टरों, क्षेत्र–प्रोफाइल, निवेश के कारक, संसाधनों एवं अन्य प्राविधानों को रेखांकित करते हुए एकीकृत निवेश प्रोत्साहन ढांचा विकसित किया जाएगा।

11.2 संभावित निवेशकों तक पहुंचने एवं विभिन्न माध्यमों से राज्य में निवेश के अवसरों को संप्रेषित करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जैसा कि परिकल्पित है, इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोफेशनल्स को बाजार से आबद्ध किया जाएगा।

11.3 उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में प्रतिभाग करेगी तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रदेश में मेजबानी की जाएगी, जो बी2जी संवाद तथा उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं व अनुकूल नीतिगत ढांचे के प्रदर्शन व प्रचार हेतु एक आदर्श मंच के रूप में कार्य करेंगे।

11.4 उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (Global Investors Summit) का आयोजन किया जाएगा।

11.5 राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सुदृढ़ किया जाएगा।

11.6 क्षेत्रीय महत्व वाले एवं मूल्यवान नवोदित सेक्टर्स में वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहन लाभों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन ढांचे को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

11.7 विदेशों से स्थानांतरित होने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य का 40 प्रतिशत नीति में उल्लिखित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा।

11.8 इन्वेस्ट यूपी द्वारा निवेश प्रबंधन एवं निवेशक संवाद (investor lead management and investor communication) हेतु एक मानव हस्तक्षेप रहित ग्राहक संबंध प्रबंधन पोर्टल (Customer Relationship Management portal) विकसित किया जाएगा। इसे ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल – निवेश मित्र से भी जोड़ा जाएगा। यह सभी निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल वन–स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।

11.9 समस्त नीतियों के लिए प्रोत्साहनों की स्वीकृति व संवितरण के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसे भी निवेश मित्र से जोड़ा जाएगा।

11.10 इन्वेस्ट यूपी की वर्तमान औद्योगिक हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ़ किया जाएगा।

11.11 मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं की सुविधा के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।

11.12 उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले समस्त विभागों में ग्राहकोन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

12. वित्तीय प्रोत्साहन–लाभ

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु नीति के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं रियायतें प्रदान किए जांएगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

12.1 पात्रता एवं परिभाषाएं

12.1.1 **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी होगी।

12.1.2 **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि तक जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी (5 वर्ष) अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

12.1.3 **पात्र औद्योगिक उपक्रम** का अभिप्राय किसी कंपनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को छोड़ कर, जिसमें सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक हो), एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति के स्वामित्व वाली संस्था से है, जो विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अथवा आर्टिकल्स के जॉबवर्क के कार्य में संलग्न हों तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हो।

12.1.4 **विस्तारीकरण** का अभिप्राय एक वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

12.1.5 **विविधीकरण** का अभिप्राय एक वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो पूर्णरूपेण पृथक उत्पाद का विनिर्माण करता है (वर्तमान उत्पाद का एक स्वरूप नहीं होना चाहिए)। इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए, औद्योगिक उपक्रम को अपने सकल ब्लॉक में कम से कम 25 प्रतिशत् की वृद्धि करनी होगी अथवा नए पूंजी निवेश के माध्यम से इस नीति में परिभाषित मेगा अथवा उससे उच्च श्रेणी की परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

12.1.6 **पूंजी निवेश** हेतु औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत पर विचार किया जाएगाः–

i. **भूमि**– भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य, परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा।

यद्यपि, कुल पूंजी निवेश (भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अवस्थापना सुविधाएं, जैसा कि इस नीति में परिभाषित है) का अधिकतम 25 प्रतिशत, पूंजी निवेश के भूमि घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।

ii. **भवन** का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो तथा उसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित रहेगा।

संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं एवं विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों की स्थापना के लिए निर्मित नवीन भवनों की लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचार किया जाएगा।

कुल पूंजी निवेश (भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अवस्थापना सुविधाओं, जैसा कि इस नीति में परिभाषित है) का अधिकतम 10 प्रतिशत, पूंजी निवेश के भवन घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।

iii. **अन्य निर्माण**– अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल टंकी, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।

iv. **संयंत्र एवं मशीनरी**– संयंत्र एवं मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी / आयातित संयंत्र व मशीनरी, सुविधाओं, डाई, मोल्ड्स, जिग्स एवं फिक्सचर्स तथा समान प्रकार के उत्पादन से संबंधित उपकरण, जिनका स्वामित्व व उपयोग संयंत्र के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, जिसमें परिवहन की लागत, नींव, निर्माण, स्थापना तथा विद्युतीकरण की लागत में विद्युत उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स एवं उपकरण, जो उत्पाद (उत्पादों) के निर्माण के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा।

संयंत्र एवं मशीनरी में गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र, अनुसंधान एवं विकास, केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा ऐसे परिसर के भीतर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण, औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित कैप्टिव विद्युत उत्पादन/ सह–उत्पादन संयंत्र, जिसके विद्युत उत्पादन का न्यूनतम 75 प्रतिशत् का उपयोग औद्योगिक उपक्रम में किया जाता है, जल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा डीजल जनरेटिंग सेट एवं बॉयलर भी सम्मिलित होंगे।

विदेशों से स्थानांतरित होने वाले औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 40 प्रतिशत् भी पात्र माना जाएगा।

v. **अवस्थापना सुविधाएं**– अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसी नई सड़कों, सीवर लाइनों, जल निकासी, विद्युत लाइनों, रेलवे साइडिंग अवस्थापना (इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं सहित) से है, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा स्वयं उपयोग के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट), उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना को भी सम्मिलित किया जाएगा।

vi. **अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets)**– प्रौद्योगिकी / तकनीकी जानकारी, परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, डिजाइन एवं ड्राइंग, पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राप्ति हेतु बुक्स में पूंजीकृत व्यय। पूंजीगत् प्रकृति के उक्त व्यय को कुल पूंजी निवेश के 05 प्रतिशत् से अधिक को पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित नहीं किया जाएगा।

12.1.7 **अपात्र पूंजी निवेश**– कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; तथा विद्युत उत्पादन, कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में परिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.1.8 **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय आवेदक द्वारा निवेश प्रारंभ करने की उस तिथि से है, जिस तिथि को औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु भूमि के विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाएगा। यदि भूमि प्रभावी तिथि से 05 वर्ष पूर्व की अवधि के अंतर्गत अर्जित की जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रथम् इनवॉइस के आधार पर पूंजी निवेश के अंतर्गत परिभाषित किसी भी मद में किए गए प्रथम व्यय की तिथि होगी, वह निवेश प्रारंभ होने की तिथि मानी जाएगी। प्रभावी तिथि से पूर्व अपना निवेश प्रारंभ करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए इस नीति की प्रभावी तिथि ही कट–ऑफ तिथि होगी।

12.1.9 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिससे औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है।

12.1.10 **पात्र निवेश अवधि** का अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में वृहद् परियोजनाओं हेतु कट–ऑफ तिथि से प्रारंभ होने वाली 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है।

***तालिका–1** : पात्र निवेश अवधि*

श्रेणी	**पात्र निवेश अवधि**
वृहद्	4 वर्ष
मेगा	5 वर्ष
सुपर मेगा	7 वर्ष
अल्ट्र मेगा	9 वर्ष

इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्षों के भीतर हो तथा वाणिज्यक उत्पादन प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। यह शर्त होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रभावी तिथि के पश्चात् किया जाना चाहिए।

यद्यपि, पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्ष पूर्व की अवधि में किया गया निवेश, पूंजी निवेश की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में इस प्रकार के निवेश का मूल्य

भूमि क्रय किए जाने के समय बुक वैल्यू पर माना जाएगा तथा इसके पश्चात् भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।

12.1.11 प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित चार निवेश प्रतिबद्धता–आधारित **परियोजना श्रेणियों** को चिन्हित किया गया है (तालिका–2)। प्रत्येक परियोजना–श्रेणी की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित–सीमा निवेश **(Threshold Investment)** कहा जाएगा। एमएसएमई को राज्य की एमएसएमई नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

***तालिका–2** : पूंजी निवेश आधारित परियोजना श्रेणियां*	
श्रेणी	**पूंजी निवेश**
वृहद्	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उउसे अधिक किन्तु ₹5,000 करोड़ से कम
अल्ट्र मेगा	₹5,000 करोड़ या उससे अधिक

12.1.12 **पात्र पूंजीगत् निवेश–ईसीआई (Eligible Capital Investment-ECI)** का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के बाद पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उसी पूंजी निवेश को पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि, निवेश की परियोजना श्रेणी (वृहद्/मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में पूंजी निवेश, जैसा कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के बाद 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के भीतर किए गए पूंजी निवेश को भी ईसीआई माना जाएगा, किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी इस नीति में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी। इस प्रकार के प्रकरण इस नीति में परिभाषित **चरणबद्ध निवेश** के रूप में विचारित किए जाएंगे।

12.1.13 **चरणबद्ध निवेश** करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदन कम से कम प्रथम चरण के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाएं।

ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रोत्साहन Threshold Investment की प्राप्ति तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment प्राप्त किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही संवितरित किए जाएंगे। अतिरिक्त पात्र पूंजी निवेश पर इकाई प्रासंगिक वृद्धिशील प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि वही रहेगी।

12.2 स्टाम्प शुल्क में छूट

राज्य के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 प्रतिशत्, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतम बौद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत् तथा गौतम बौद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत् स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

12.3 निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी

निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 03 परस्पर पृथक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर केवल एक बार दिया जाएगा। निवेशक द्वारा परियोजना के प्रारंभ में आवेदन के समय उक्त अवसर का प्रयोग करना होगा।

यद्यपि, आवेदक द्वारा आवेदन के समय चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा। मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किए जाने के पश्चात् उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति अथवा अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन हेतु लंबित होने पर, जैसा भी प्रकरण हो, इस अतिरिक्त अवसर का प्रयोग किया जा सकता है। अतः आवेदक द्वारा चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का मात्र एक ही अवसर उपलब्ध होगा।

औद्योगिक उपक्रम द्वारा निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन किया सकता है–

12.3.1 विकल्प 1: पूंजीगत् सब्सिडी

i. इस विकल्प के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम तालिका–3 के अनुसार मूल **पूंजीगत् सब्सिडी** का लाभ उठा सकते हैं। पूंजीगत् सब्सिडी निम्न सूत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी–

वार्षिक पूंजीगत् सब्सिडी = (बेस कैपिटल सब्सिडी X ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन मल्टीपल

***तालिका–3 : पूंजीगत् सब्सिडी एवं वार्षिक सीमा** (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)*

जनपद/क्षेत्र	**वृहद्**	**मेगा**	**सुपर मेगा**	**अल्ट्रा मेगा**
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई का 10 प्रतिशत् 10 वर्ष हेतु	ईसीआई का 18 प्रतिशत् 12 वर्ष हेतु	ईसीआई का 20 प्रतिशत् 15 वर्ष हेतु	ईसीआई का 22 प्रतिशत् 20 वर्ष हेतु
मध्यांचल व पश्चिांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई का 12 प्रतिशत् 10 वर्ष हेतु	ईसीआई का 20 प्रतिशत् 12 वर्ष हेतु	ईसीआई का 22 प्रतिशत् 15 वर्ष हेतु	ईसीआई का 25 प्रतिशत् 20 वर्ष हेतु
बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल	ईसीआई का 15 प्रतिशत् 10 वर्ष हेतु	ईसीआई का 22 प्रतिशत् 12 वर्ष हेतु	ईसीआई का 25 प्रतिशत् 15 वर्ष हेतु	ईसीआई का 30 प्रतिशत् 20 वर्ष हेतु
वार्षिक सीमा	₹ 5 करोड़	₹ 10 करोड़	₹ 85 करोड़	₹ 150 करोड़
बूस्टरों के साथ वार्षिक सीमा	लागू नही	₹ 12.5 करोड़	₹ 120 करोड़	₹ 210 करोड़

(GCM))/अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि

ii. **ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन मल्टीपल (Gross Capacity Utilization Multiple- GCM)** : इस नीति में ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM) को प्रयुक्त किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उत्पादन क्षमता का इष्टतम (Optimum) उपयोग किया जा सके।

GCM को प्रथम वर्ष के लिए 1 माना जाएगा, बशर्ते कि इकाई के लिए क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत हो। अनुवर्ती वर्षों हेतु GCM को 1 माना जाएगा, बशर्ते कि उस वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग, स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

यदि अधिकतम क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत से कम है, तो दिए गए फॉर्मूले के अनुसार GCM को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा—
GCM = Minimum (75%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग)/75%

(क) अधिकतम GCM मान '1' होगा।

(ख) यदि क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो GCM शून्य होगा।

(ग) चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम् वर्ष के GCM को, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि क्षमता उपयोग उस चरण में स्थापित अतिरिक्त क्षमता का न्यूनतम् 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में, GCM 1 होगा, यदि इकाई का कुल क्षमता उपयोग कुल स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत है तथा यदि इससे कम है, तो GCM आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

(घ) विस्तारीकरण परियोजनाओं के प्रकरण में, विगत् 05 वर्षों में विद्यमान इकाई की क्षमता को वर्तमान क्षमता के रूप में माना जाएगा। अतिरिक्त निवेश द्वारा स्थापित क्षमता के कारण प्राप्त वृद्धिशील (incremental) क्षमता के उपयोग के आधार पर GCM की गणना की जाएगी।

(ड.) विविधीकरण परियोजनाओं के प्रकरण में, GCM की गणना अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद (उत्पादों) के लिए स्थापित अतिरिक्त क्षमता के कारण प्राप्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।

(च) किसी विशेष वर्ष में 1 से कम के GCM के कारण कम की गई पूंजीगत सब्सिडी को आगामी वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

GCM गणना के विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

iii. तालिका–3 में उल्लिखित बूस्टर के साथ वार्षिक अधिकतम सीमा के अधीन मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाएं बूस्टर के रूप में अतिरिक्त पूंजीगत् सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं—

वार्षिक पूंजीगत् सब्सिडी = (बेस कैपिटल सब्सिडी गुणा जीसीएम) + (रोजगार बूस्टर + निर्यात बूस्टर + पारिस्थिकी तंत्र बूस्टर)/(अनुमन्य प्रोत्साहन–लाभ संवितरण अवधि)

iv. **रोजगार बूस्टर** – मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं तालिका–3 के अनुसार न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने पर निम्नलिखित रोजगार बूस्टर का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक

द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत वार्षिक रोजगार (कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित) को वार्षिक रोजगार बूस्टर प्रतिशत् माना जाएगा।

(क) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार नियोजित करने पर अथवा प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के कम से कम 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 2 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर

(ख) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक नियोजित करने पर अथवा प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के दोगुने के कम से कम 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 03 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर

(ग) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक नियोजित करने पर अथवा प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के तीन गुना के कम से कम 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 04 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर

***तालिका–4** : परियोजना श्रेणीवार न्यूनतम रोजगार संख्या*

श्रेणी	**रोजगार**
मेगा	300
सुपर मेगा	600
अल्ट्रा मेगा	1500

v. **निर्यात बूस्टर**– मेगा व उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं निर्यात बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं, जिसका निर्धारण किसी दिए गए वर्ष में निर्यात से प्राप्त राजस्व एवं उसी वर्ष के कुल राजस्व के अनुपात के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा –

(क) निर्यात के माध्यम से एक वर्ष में अपने राजस्व का 25 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक– ईसीआई के 2 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर

(ख) निर्यात के माध्यम से एक वर्ष में अपने राजस्व का 50 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक– ईसीआई के 3 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर

(ग) निर्यात के माध्यम से एक वर्ष में अपने राजस्व का 75 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक– ईसीआई के 4 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर

vi. **पारिस्थिकी तंत्र बूस्टर (Ecosystem Booster)**– यदि कोई मेगा अथवा उससे उच्च की श्रेणी की परियोजना द्वारा अपने उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विद्यमान अथवा नई विनिर्माण इकाई से इनपुट अथवा कच्चा माल प्राप्त करती है, तो उसको निम्नानुसार पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर प्रदान किया जाएगा–

(क) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर – ईसीआई के 02 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर

(ख) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर – ईसीआई के 03 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर

(ग) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिकको प्राप्त करने पर – ईसीआई के 04 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर

12.3.2 विकल्प–2 : शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर –एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति (Net SGST Reimbursement)

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राजकोष में जमा किए गए शुद्ध एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होने की शर्त के अधीन जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति तालिका–5 में उल्लिखित विधि के अनुसार की जाएगी–

तालिका–5 : शुद्ध एसएजीएसटी प्रतिपूर्ति					
विवरण		**वृहद्**	**मेगा**	**सुपर मेगा**	**अल्ट्रा मेगा**
शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत्		100%	100%	100%	100%
प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)		5	10	12	15
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	इसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	20%	12%	10%	8%
	इसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80%	80%	80%	80%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	इसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	22%	24%	20%	15%
	इसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90%	200%	200%	200%
बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल	इसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	24%	35%	30%	25%
	इसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100%	300%	300%	300%

12.3.3 विकल्प–3 : भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टॉप–अप

i. भारत सरकार की किसी भी पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30 प्रतिशत् (जब एवं जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाता है) भारत सरकार द्वारा पीएलआई प्रोत्साहन संवितरित किए जाने पर संवितरित किया जाएगा।

ii. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की समग्र सीमा ईसीआई के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी।

iii. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विकल्प के अन्तर्गत भारत सरकार की च्स्प् योजना के अतिरिक्त भी ऐसी योजनाओं को मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त सम्मलित किया जा सकता है।

12.4 केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहन

विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा केस–टू–केस आधार पर भी प्रोत्साहनों का विशेषीकृत (कस्टमाइज़्ड) पैकेज प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस प्रकार की केस–टू–केस आधार पर भी प्रोत्साहनों का विशेषीकृत (कस्टमाइज़्ड) पैकेज प्रदान करने हेतु मा. मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा।

12.5 अनुसंधान एव विकास परियोजनाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु प्रोत्साहन

12.5.1 एकल (स्टैंडअलोन) अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्तियों के सृजन पर व्यय के 25 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन होगी। यह प्रतिपूर्ति इस नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी एवं स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त होगी।

i. ऐसी परियोजनाओं में पात्र पूंजी निवेश में न्यूनतम ₹20 करोड़ का निवेश होना चाहिए।

ii. इसमें औद्योगिक इकाई के भीतर अथवा बाहर स्पष्ट रूप से सीमांकित सुविधा होनी चाहिए।

iii. यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार (DSIR) में पंजीकृत होना चाहिए।

iv. परियोजना के अनुमोदन पर 50 प्रतिशत् सब्सिडी, अनुमोदन के 03 वर्ष के उपरान्त अनुवर्ती 25 प्रतिशत् तथा प्रतिबद्ध परिणाम प्राप्त करने पर अंतिम 25 प्रतिशत् की सब्सिडी किश्तों में प्रदान की जाएगी।

v. नीति की अवधि में उक्त प्रकार की 10 इकाइयों को नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

12.5.2 स्टैंडअलोन अनुसंधान एवं विकास फर्मों द्वारा फर्म के व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां अपेक्षित हैं, यथा– नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन व इंजीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण एवं परीक्षण की नई पद्धतियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता के विकास हेतु अनुसंधान। आवेदन के समय, अनुसंधान एवं विकास इकाई (इकाइयों) के पास भलीभांति परिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए, जो नवीन उत्पादों तथा/अथवा प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियों) के विकास के लिए लक्षित हों। ऐसी फर्म्स जो पूर्णतः बाजार अनुसंधान, कार्य व विधियों के अध्ययन, संचालन एवं प्रबंधन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन–प्रतिदिन के उत्पादन के रखरखाव एवं संयंत्र के रखरखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण व विश्लेषण का कार्य करती हों, उन पर अनुसंधान एवं विकास से संबंधित फर्म के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

12.5.3 राज्य सरकार पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण हेतु किए गए व्यय के 50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति करेगी, यह अधिकतम ₹ 1 करोड़ के अधीन होगा। यह प्रोत्साहन उन पात्र औद्योगिक उपक्रमों को दिया जाएगा, जिनका कोई विकल्प प्रोत्साहन–लाभ प्रोत्साहन सब्सिडी के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है अथवा कोई स्टैंडअलोन अनुसंधान एवं विकास इकाई, जिसको इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया है। यह प्रतिपूर्ति नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति एवं नीति के अंतर्गत पात्र स्टैंडअलोन अनुसंधान एवं विकास इकाइयों हेतु प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी।

12.6 उत्कृष्टता केंद्रों हेतु वित्तीय अनुदान

12.6.1 निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा सरकारी संगठनों (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश) को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे उत्कृष्टता केंद्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नीति के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन–लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं, उनको इस नीति के अंतर्गत वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संसाधन दक्षता, सर्क्युलर अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता सुधार एवं इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रो को बढ़ावा दिया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रौद्योगिकी प्राप्ति एवं अन्य सुविधाओं की सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार की नीतियों के साथ Dovetailing करने की अनुमति दी जाएगी। क्षेत्रों के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

12.6.2 नीति की अवधि में ऐसे अधिकतम 10 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को प्रोतसाहित किया जाएगा, जिसमें से एक सेक्टर में अधिकतम 2 सीओई हो सकते हैं।

12.6.3 अनुदान का परिमाण प्रति परियोजना हेतु ₹10 करोड़ की समग्र सीमा के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत् तक होगा।

12.7 अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रोत्साहन लाभ

12.7.1 प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु जीवंत ecosystem के सृजन के लिए पम्प स्टोरेज संयंत्रों को प्रोत्साहिन किया जाएगा।

12.7.2 समान प्रकार की अन्य अवस्थापना परियोजना की श्रेणियों को पात्र सूची में जोड़ा जा सकता है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त उपर्युक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

12.7.3 मेगा अथवा उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत पात्र पम्प स्टोरेज संयंत्र को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे –

i. राज्य के बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 प्रतिशत्, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतम बौद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत् तथा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत् की स्टाम्प ड्यूटी में छूट।

ii. इस नीति के प्रस्तर 12.3.1 में वर्णित निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के विकल्प–1 (तालिका–3) में परिभाषित आधार पूंजीगत सब्सिडी। यद्यपि, इस नीति में परिभाषित GCM एवं सभी बूस्टर ऐसी परियोजनाओं हेतु लागू नहीं होंगे।

रणनीति 5 : स्थायित्व स्तंभ

13. रोजगार के अवसरों का सृजन

राज्य के नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के उत्थान तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करने हेतु रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में कार्य करने योग्य आयुवर्ग बढ़ती हुई संख्या के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय वृद्धि के दृष्टिगत् उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों के

सृजन हेतु विभिन्न उपायों पर कार्यवाही कर रही है। इस दिशा में, इस नीति का यह ध्येय है कि संपूर्ण राज्य में रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।

रोजगार के अवसर सुजित करने हेतु विशेष प्रोत्साहनों के साथ राज्य सरकार उच्च रोजगार सृजन क्षमता वाले क्षेत्रों, जैसे हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, एमएसएमई व स्टार्टअप आदि के लिए भी केंद्रित उपाय करेगी। राज्य का नीतिगत् ढांचा स्व–रोजगार एवं ओडीओपी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पियों हेतु रोजगार सृजन पर भी केंद्रित होगा।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उच्च स्तरीय एकीकरण पर नीति के प्रोत्साहन से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अपितु रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर समान रूप से बल दिया जाएगा, ताकि राज्य में कार्यबल की रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

14. संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करना

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसमें बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, विभिन्न हवाई अड्डे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर, विभिन्न औद्योगिक पार्कों, फ्लैटेड फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ओडीओपी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का विकास सम्मिलित है। क्षेत्र के लिए उच्च प्रोत्साहन सहित विभिन्न नीतिगत कार्य किए गए, मध्यांचल सहित इन क्षेत्रों में विकास केंद्रों के त्वरित निर्माण के लिए समर्पित नीति के अतिरिक्त विभिन्न अन्य क्षेत्रीय उपाय भी किए गए।

राज्य में प्राप्त संतुलित क्षेत्रीय विकास गति की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह नीति उक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन संरचना प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, नीति राज्य के बुंदेलखंड, मध्यांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों के विशिष्टियों का लाभ उठाते हुए इन क्षेत्रों से निर्यात में सुधार पर केंद्रित उपाय करेगी। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं पहुंच में सुधार करने का प्रयास करेगी, इन क्षेत्रों में इच्छित समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सड़क अवस्थापना तथा विद्युत कनेक्टिविटी में वृद्धि की जाएगी। नवीन औद्योगिक पार्क एवं क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे।

15. सर्क्युलर अर्थव्यवस्था (Circular economy) एवं पर्यावरण संरक्षण

राज्य सरकार सतत् विकास के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है तथा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करते हुए स्वच्छ व हरित वातावरण सुनिश्चित करने की अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है। इस दिशा में, सर्क्युलर (Circular) एवं Sustainable अर्थव्यवस्था से एक विश्वसनीय मॉडल प्राप्त हो सकता है। रेखीय अर्थव्यवस्था (Linear Economy) के विपरीत, जो 'टेक, मेक एंड वेस्ट' के पैटर्न पर कार्य करती है, सर्क्युलर अर्थव्यवस्था उत्पादन एवं खपत का एक मॉडल है, जिसमें विद्यमान सामग्रियों एवं उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना तथा पुनर्चक्रण करना सम्मिलित है। सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में उत्पादों अथवा सामग्रियों का बार–बार उपयोग किया जाता है, जिससे उनके जीवन–चक्र में वृद्धि हो जाती है तथा अपशिष्ट लगभग शून्य हो जाता है।

सर्क्युलर अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् उपाय किए जाएंगे–

15.1 इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों/गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा–

15.1.1 ऑटो वाहनों एवं ऑटो पार्ट्स की श्रेडिंग करने वाली श्रेडिंग इकाइयाँ तथा इसके तैयार उत्पाद को स्टील विनिर्माण इकाइयों को उपलब्ध कराने वाली इकाइयाँ

15.1.2 जैव–ईंधन/जैव–डीजल का विनिर्माण

15.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण/उपयोग योग्य उत्पादों में पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग)

15.1.4 ऊर्जा/अन्य उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग)

15.1.5 ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 तथा उसके पश्चात् के संशोधनों में सूचीबद्ध उत्पादों के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) करने वाली ई–अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां/सुविधाएं/पार्क

15.1.6 केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य गतिविधि, जो अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन करती है। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के उद्देश्य से सर्कुलर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाली ऐसी इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक विशेष समिति को अधिसूचित किया जाएगा।

उपर्युक्त गतिविधियों में संलग्न इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत 'पात्र औद्योगिक उपक्रम' के लिए उपलब्ध लाभों एवं प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की अधिकारी होंगी।

15.2 संसाधन उत्पादकता, पुनर्चक्रण दर, नगरीय अपशिष्ट उत्पादन, पर्यावरण–नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसे संकेतकों के साथ सर्क्युलर अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार के उपायों को संरेखित किया जाएगा।

15.3 'सर्कुलर अर्थव्यवस्था' को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति–2022 के अनुरूप, 'स्वच्छ भारत मिशन' में योगदान करते हुए, पार्ट्स की पुनर्प्राप्ति, उत्पादों के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) एवं पैकेजिंग अपशिष्ट के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट (खतरनाक, ठोस एवं जैव–चिकित्सा अपशिष्ट सहित) के परिवहन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सतत् विकास सुनिश्चित करने हेतु समस्त स्तरों पर औद्योगिक सेवाओं में 'स्वच्छ पहल' (Clean initiatives) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग, शिक्षा एवं सरकार के मध्य सहयोग स्थापित करके उद्योगों में अनुसंधान व नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

15.4 सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने वाले उपायों को सम्मिलित करने हेतु क्षेत्र–विशिष्ट नीतियों/कदमों का कार्यान्वयन, जिसमें उत्पाद के संपूर्ण जीवनकाल के साथ–साथ निस्तारण प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं।

15.5 सर्कुलर अर्थव्यवस्था से आच्छादित विशिष्ट क्षेत्र–विशिष्ट नीतिगत ढांचे का शुभारंभ किया जाएगा, जैसे–नगरीय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्क्रैपिंग आदि।

15.6 यह नीति जल शुद्धिकरण, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रह, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए संयंत्र की स्थापना में निवेश को पूंजी निवेश के संयंत्र एवं मशीनरी मद के अंतर्गत पात्र निवेश के रूप में प्रोत्साहित करेगी।

15.7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्षेत्रों में सार्वजनिक उत्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

15.8 राज्य सरकार उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों के अधिक अनुपालन को भी प्रोत्साहित करेगी तथा उन्हें वायु व जल प्रदूषण को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करेगी।

16. नीति का कार्यान्वयन

16.1 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

16.2 नीति में संशोधन/अधिक्रमण हेतु केवल मा. मंत्रिपरिषद् अधिकृत होगी।

16.3 इस नीति में किसी भी संशोधन की दशा में, नीति में संशोधन से पूर्व अनुमोदित किए गए प्रोत्साहन के प्रतिबद्ध पैकेज समाप्त नहीं होंगे तथा संबंधित इकाई उक्त प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगी।

16.4 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत अनुमोदित प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त इकाइयां लाभ की अधिकरी बनी रहेंगी। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत निर्गत किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट में संशोधन किए जाने की दशा में, उक्त संशोधन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में परिभाषित प्राविधानों के अनुसार किए जाएंगे।

16.5 ऐसे प्रकरण, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं, वे केवल एक विकल्प के अधीन इस नीति के प्राविधानों के अनुसार प्रोत्साहनों हेतु आवेदन कर सकेंगे अथवा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत प्रक्रियानुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

16.6 राज्य सरकार द्वारा निवेश मित्र से एकीकृत एक ऑनलाइन प्रोत्साहन–लाभ प्रबंधन पोर्टल (Online Incentive Management Portal) प्रारंभ किया जाएगा। इसके शुभारंभ होने के पश्चात् एक तिथि निर्दिष्ट की जाएगी, जिसके उपरान्त इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदकों को एक यूनीक आईडी प्रदान की जाएगी।

16.7 यदि इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन के संवितरण की अवधि के भीतर एक पात्र औद्योगिक उपक्रम को रुग्ण घोषित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत नई इकाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो नई इकाई शेष अवधि के लिए शेष उन समस्त प्रोत्साहन–लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, जो मूल औद्योगिक उपक्रम, जिसे अब रुग्ण घोषित किया गया है, को इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। मूल औद्योगिक उपक्रम को स्वीकृत प्रोत्साहनों को नई इकाई को संवितरित करते समय, नई इकाई द्वारा मूल रूप से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूर्ण किया जाना होगा।

16.8 औद्योगिक उपक्रम द्वारा एक रुग्ण इकाई तथा उसकी परिसंपत्ति का अधिग्रहण करके स्थापित इकाई भी इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की कुल अधिग्रहण लागत का 20 प्रतिशत्, इस नीति में परिभाषित पूंजी निवेश के प्रत्येक प्रासंगिक घटक के लिए विचारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अधिग्रहण लागत के 20 प्रतिशत् का योग एवं प्रभावी तिथि के उपरान्त तथा प्रासंगिक पात्र निवेश अवधि के भीतर किए गए नए अतिरिक्त पूंजी निवेश को परियोजना की श्रेणी निर्धारित करने के लिए परियोजना के पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा। यद्यपि, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विचारणीय पात्र पूंजी निवेश केवल नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया गया नया अतिरिक्त पूंजी निवेश होगा, जो रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत के अतिरिक्त होगा।

16.9 नीति के प्रस्तर 4.3 में परिभाषित **निजी औद्योगिक पार्कों** हेतु प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन–

16.9.1 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

16.9.2 इस हेतु आवेदनों के मूल्यांकन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), यूपीसीडा के स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.9.3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक प्राधिकृत समिति द्वारा प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण की अनुशंसा माननीय औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को की जाएगी।

16.10 नीति के प्रस्तर 4.4 में परिभाषित **निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि के सम्मुचयन (Aggregation)** का कार्यान्वयन–

16.10.1 लाइसेंस प्रदान करने एवं योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुवर्ती अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

16.10.2 इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.10.3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एक प्राधिकृत समिति आवेदनों का अनुमोदन करेगी।

16.11 नीति के प्रस्तर 4.5 में परिभाषित **त्वरित (फास्ट–ट्रैक) भूमि आवंटन योजना** का कार्यान्वयन–

16.11.1 राज्य की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए एक फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा।

16.11.2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.11.3 इस प्रकार के आवंटन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक फास्ट–ट्रैक भूमि आवंटन समिति अंतिम अनुशंसा प्रदान करेगी।

16.12 नीति के प्रस्तर 12 में परिभाषित व्यष्टिगत् (individual) औद्योगिक उपक्रम को **वित्तीय प्रोत्साहनों** की स्वीकृति तथा संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था–

16.12.1 औद्योगिक उपक्रमों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी।

16.12.2 आवेदनों की Processing तथा सिंगल विंडो संचालन के प्रबंधन में सहायता हेतु इनवेस्ट यूपी में एक नामित नोडल अधिकारी के नेतृत्व में, आउटसोर्स प्रोफेशनल्स व परामर्शियों के साथ पर्याप्त रूप से स्टाफ से युक्त एक नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) स्थापित की जाएगी। नोडल संस्था चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अभियंताओं, कॉस्ट एकाउंटेंट्स, जीएसटी ऑडिटर्स आदि को भी व्यक्तिगत् अथवा फर्म अथवा संस्था के रूप में सूचीबद्ध करेगी।

16.12.3 आवेदनों के मूल्यांकन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.12.4 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक प्राधिकृत समिति वृहद् श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु माननीय औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

16.12.5 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद् के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। यह समिति नीति के अंतर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

16.12.6 संबंधित प्राधिकृत समितियां किसी भी आवेदक द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोध किए गए चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि, कट–ऑफ तिथि में परिवर्तन, समान श्रेणी के भीतर पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि आदि में नीति के अंतर्गत एवं कालान्तर में निर्गत दिशानिर्देशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगी।

16.13 **उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) को सहायता–अनुदान** की स्वीकृति व संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था–

16.13.1 इस प्रकार के अनुदानों की स्वीकृति व संवितरण हेतु इन्वेस्ट यूपी नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

16.13.2 इस प्रकार के आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.13.3 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति आवेदनों के अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री को अनुशंसा करेगी।

-----x-----